न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज. 0744–2326871

GCMS NO.-2023/658
मिसलनम्बर– 95 / 2023

1.कालूलाल पुत्र मांगीलाल आयु 70 वर्ष जाति कलाल निवासी बालाकुण्ड कच्ची बस्ती कैलाश किराना स्टोर के सामने केशवपुरा कोटा थाना दादाबाड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.राजू पुत्र कालूलाल
2.पिंटू पुत्र कालूलाल
3.इन्द्रा पत्नि कालूलाल
4.सुगना पत्नि राजू निवासीगण जाति कलाल निवासी बालाकुण्ड कच्ची बस्ती कैलाश किराना स्टोर के सामने केशवपुरा कोटा थाना दादाबाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

-:निर्णय:-
(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र)

दिनांक 18/11/24

उपस्थिति:–
1.श्री प्रार्थी स्वयं।
2.श्री अप्रार्थीगण स्वयं।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कालूलाल पुत्र श्री मांगीलाल आयु 70 वर्ष जाति कलाल निवासी– बालाकुण्ड कच्ची बस्ती, कैलाश किराना रटोर के सामने, केशवपुरा, कोटा, थाना दादाबाड़ी कोटा राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी सीनियर सिटीजन है। प्रार्थी के चार पुत्र है, जिनमें राज, महेन्द्र गिरिराज एवं पिन्टू है। प्रार्थी के एक पुत्र पिन्टू अविवाहित है। प्रार्थी के तीन पुत्र राजू, गिरिराज एंव पिन्टू तथा प्रार्थी की पत्नी इन्द्रा प्रार्थी के साथ निवास करता है। प्राथी का एक पुत्र महेन्द्र अलग किराये के मकान से निवास करता है। प्रार्थी के उक्त तीनों पुत्र एंव इनकी बहुऐं आये दिन प्रार्थी के साथ गाली–गलौच, मारपीट करते है तथा प्रार्थी को खाना–पीने नहीं देते है। प्रार्थी के द्वारा मेहनत मजदूरी कर उक्त मकान का निर्माण करवाया है। जिसका पट्टा प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी इन्द्रा के नाम पर है। प्रार्थी के एक पुत्र महेन्द्र को भी उक्त तीनों बेटों के द्वारा मारपीट कर, लडाई–झगडा कर घर से निकाल दिया है तथा प्रार्थी को भी अपने ही मकान से उक्त तीनों पुत्र निकालने पर आमादा है जिनका साथ प्रार्थी की पत्नी इन्द्रा भी देती है। श्रीमान प्रार्थी उक्त तीनों पुत्रो एवं पत्नी इन्द्रा घर पर आने पर गाली–गलौच मारपीट करते है तथा जिसके कारण कई बार रात का समय रोड पर ही गुजारनी पडता है तथा दर–दर की ठौंकरे खाने कों मजबूर कर रखा है। प्रार्थी 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि

न्यायालय ... कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

र बीमार रहता है, तथा प्रार्थी की किडनी में पत्थरी है एंव मिठान है जिसका भी इलाज के द्वारा नहीं करवाया जा रहा है उल्टा प्रार्थी के साथ मारपीट की जाती है तथा घर से बाहर निकालने पर आमादा है। करीब डेढ– दो साल पहले भी प्रार्थी के पुत्र पिन्टू एवं अन्य पुत्रों के द्वारा गम्भीर मारपीट लकडियों से मारपीट करने के कारण गम्भीर हालत होने पर जयपुर में भर्ती रहना पड़ा था। प्रार्थी को अपने उक्त तीनों पुत्र राजू, गिरिराज एवं पिन्टू से जान माल का खतरा है। प्रार्थी की पत्नी इन्द्रा के द्वारा भी प्रार्थी के साथ कल दिनांक 02.11.2023 को दोपहर 12 करीब घर पर था, पीछे से प्रार्थी की पत्नी इन्द्रा ने स्टील की भगोनी से प्रार्थी के सिर में मारी है तथा थप्पड़ों एवं डंडों से मारपीट की गयी तथा प्रार्थी को कुत्ते आदि शब्द कहे गये तथा घर से बाहर निकाल दिया। प्रार्थी 70 वर्ष की इस वृद्धावस्था में कहां जाएँ, प्रार्थी अपनी बाकी की जिंदगी हंसीखुशी जीना चाहता है, इस कारण प्रार्थी अपने उक्त तीनों पुत्रों राजू, गिरिराज एवं पिन्टू को अपने उक्त मकान से बेदखल करना चाहता है जिससे की प्रार्थी उक्त मकान को किराये पर देकर उससे मिलने वाले पैसों से अपना जीवन गुजर कर सके। इस संबंध में पूर्व में दिनांक 16.06.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर कोटा को दिया लेकिन जिस पर प्रार्थी के तीनों पुत्रों को पाबंद किया गया तथा लेकिन उसके बावजूद भी प्रार्थी के तीनों पुत्र एंव पत्नी इन्द्रा प्रार्थी के साथ मारपीट कर रहे है तथा जान से मारने की धमकियां दे रहे है तथा प्रार्थी की बहूयें गुड्डी एवं सुगना, प्रार्थी झूठे बलात्कार का केस लगाकर जेल में डलवाने की धमकियां दे रही है। प्रार्थी को मारकर, प्रार्थी का मकान हड़प करना चाहते है। प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी तीनों राजू, गिरिराज एवं पिन्टू एवं गिरिराज की पत्नी गुड़डी एवं राजू की पत्नी सुगना एव प्रार्थी की पत्नी इन्द्रा के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्याही करने की कृपा करे तथा प्रार्थी के तीनों पुत्रों को प्रार्थी के घर से बेदखल करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी कालूलाल पारेता शराब का आदि है व नशे मे अपने तीनो पुत्रों व बहुओं में गाली गलोच करता है। बहुओं से अपशब्द गलत शब्दो का इस्तेमाल करता है। प्रार्थी कालू लाल व इन्द्रा बाई पारेता दोनो ने ही मेहनत मजदूरी करके उक्त मकान का निर्माण करवाया है। जिसका पट्टा कालू लाल पत्नी इन्द्रा बाई के नाम पर है। महेन्द्र पारेता का साला मंगू के चक्कर मे दोनो भाईयों गिर्राज व महेन्द्र के बीच किसी बात को लेकर अनबन होने की वजह से महेन्द्र पारेता अपनी स्वंय की इच्छा से घर छोडकर श्रीनाथपुरम किराये के मकान में रहने चला गया था। तीनो पुत्रों में से किसी ने भी अपने पिता कालूलाल पारेता को घरसे निकालने में आमदा नही है। यह झूठा आरोप लगाया गया है। कालू लाल पारेता घर पर आने पर तीनो पुत्रों व पत्नी में शराब के नशे की हालात में गाली गलोच करता है। और कालूलाल पारेता सुबह का खाना गिर्राज पारेता व गुडडी बाई, राजू पारेता पत्नी सुगना बाई के पास खाते है व दिनभर अपने स्वंय के मकान में ही रहते है। शाम को अपने पुत्र महेन्द्र पारेता श्रीनाथपुरम रहता है। उसके घर पर खाना खाते है व रात वही गुजारते है। कालू लाल पारेता को 1 से 2 साल पहले अधिक शराब के सेवन करने से लिवर इन्फेक्शन हो गया था व पिलीया होने के वजह से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था मेडिकल कॉलेज में साधनों के अभाव में जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था जिसका इलाज पुत्र पिंटू पारेता व पत्नी इन्द्रा बाई पारेता जयपुर रह कर 8 दिन कराया था। कालू लाल पारेता को सामाजिक पेंशन 1000 रूपये मिलती है उक्त दुकान किराये पर दे रखी है जिसका किराया 3600 रू0 आता है। यह पेसा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के पास ही रखते है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की ओर से दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने का कथन कर प्रार्थी को उसके मकान में निवास करने में व्यवधान उत्पन्न नही करने, उसके साथ गाली–गलोच व मारपीट नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद करने एवं अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल करने का निवेदन किया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी कालूलाल शराब का सेवन करने का आदी है व नशे में अपने पुत्रों व बहुओं के साथ गाली गलौच करता है। अधिक शराब के सेवन करने से प्रार्थी के लिवर में इन्फेक्शन हो गया था। इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती कराया गया था। प्रार्थी ने भी अपनी बहस में यह स्वीकार किया है कि उसे लिवर सम्बंधी समस्या हो गई थी और जयपुर इलाज चला था जिस कारण से अप्रार्थी का कथन कि " प्रार्थी नशे में अपने पुत्रों व बहुओं के साथ गाली गलौच करता है" उचित प्रतीत होता है एवं प्रार्थी द्वारा भी अप्रार्थीगण के उक्त कथन का खण्डन नही किया गया है। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थी के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान बालाकुण्ड कच्ची बस्ती कैलाश किराना स्टोर के सामने केशवपुरा कोटा थाना दादाबाड़ी कोटा में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा, भोजन आदि की व्यवस्था करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक: 16/11/20 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा